राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2878/2023

धर्मपाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. कार्मिक विभाग जरिये प्रमुख शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.10.2023
आदेश की दिनांक : 01.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

> "It is, therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and the order dated 6.10.2023 may kindly be quashed and set aside the respondents may further be directed to allow the appellant to continue on the post Joint Director (IWMP) Watershed and Soil Conservation, Jaipur with regular salary and all benefits."

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में संयुक्त निदेशक के पद पर जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को असक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी का सक्षम प्राधिकारी कृषि विभाग है लेकिन बिना किसी कारण के जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग ने निलम्बन आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी कृषि विभाग का स्थायी कर्मचारी है। कृषि विभाग द्वारा जारी

वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित है (अनुलग्नक–2)। परिपत्र दिनांक 02.10.2010 (अनुलग्नक–3) द्वारा स्थानान्तरित कर्मचारियों के मामले में सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल मूल विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है और कार्मिक विभाग राज्य सेवा अधिकारियों के निलंबन को पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 12.04.2022 द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रशासनिक विभाग भी तत्काल आवश्यक परिस्थिति होने पर निलंबन आदेश पारित कर सकता है, लेकिन उस स्थिति में निलंबन आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर कार्मिक विभाग से आदेश को मंजूरी ली जाएगी। अपीलार्थी के खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है या उस पर विचार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.09.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर से परियोजना प्रबंधक, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, चूरू कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2374/2023 दायर की, जिसमें अधिकरण द्वारा दिनांक 20.09.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 27.09.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे नाराज होकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलौच्य निलम्बन आदेश जारी किया है, जबकि जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण अपीलार्थी का प्रशासनिक विभाग नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि शासन सचिव, पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 27.01.2023 (अनुलग्नक–आर/1) के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण के कृषि अभियंता संवर्ग से सम्बन्धित समस्त कार्य विधिवत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–आर/2) के द्वारा निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर को पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसलिए निलम्बन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए है तथा आदेशों की पुष्टि हेतु पत्रावली निलम्बन तिथि 06.10.2023 को ही कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। जलग्रहण विभाग द्वारा संचालित योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (घटक 2) अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों यथा प्रवेश बिन्दु गतिविधि, एनआरएम कार्य, चारागाह विकास एवं आजीविका गतिविधियों संबंधी स्पष्ट दिशा–निर्देशों के अभाव

में योजना की प्रगति प्रभावित होने तथा कार्य सम्पादन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के कारण राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की उदासीनता एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने पर अपीलार्थी को निलम्बित कर अग्रिम अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया था। राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अनुसार जिस लोकसेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है, उस लोकसेवक का पदस्थापन अन्यत्र किया जा सकता है, जिससे जांच कार्यवाही प्रभावित नही हो। दिनांक 06.10.2023 को जारी आलोच्य आदेश की प्रति माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग तथा आयुक्त कृषि विभाग को सूचनार्थ दी गई तथा आदेशों की पुष्टि हेतु पत्रावली निलम्बन तिथि 06.10.2023 को ही कार्मिक विभाग को प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अपीलार्थी का निलम्बन आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1), जिसे निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर द्वारा जारी किया गया है, के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। अपील में यह भी निवेदन किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 जिसके द्वारा आलौच्य आदेश जारी किया गया है इस हेतु सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अपीलार्थी कृषि विभाग का कार्मिक है और वर्तमान में जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी राज्य सेवा (State Service) का कर्मचारी है, जिसे कार्मिक विभाग द्वारा निलम्बित किया जा सकता है और आवश्यक परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा निलम्बित किए जाने की दशा में 15 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग की पुष्टि अनिवार्य है। जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर अपीलार्थी का प्रशासनिक विभाग नहीं है और निलम्बन आदेश भी निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर) द्वारा जारी किया गया है, जो सक्षम प्राधिकारी नहीं है। अपीलार्थी को बिना किसी जांच के निलम्बित किया गया है इसलिए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 का उल्लंघन किया गया है। निलम्बन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है। प्रशासनिक विभाग द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है एवं न ही कोई जांच लम्बित है। निलम्बन आदेश दुर्भावनापूर्ण और बदनियति से जारी किया गया है क्योंकि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 11.09.2023

द्वारा स्थानान्तरण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया था, जिसकों माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित किए जाने के फलस्वरूप प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से आलौच्य आदेश जारी किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग का बहस के दौरान मुख्य कथन यह रहा है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के आदेश दिनांक 27.01.2023 (अनुलग्नक–आर/1) में यह स्पष्ट किया गया है कि जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण के कृषि अभियंता संवर्ग से सम्बन्धित समस्त कार्य विधिवत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। साथ ही निवेदन किया गया है कि निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2023 (अनुलग्नक–आर/2) द्वारा विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग) जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। अतः निलम्बन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है। साथ ही निवेदन किया कि निलम्बन आदेश की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। अपीलार्थी विभिन्न योजनाओं के राज्य प्रभारी है एवं राज्य स्तर पर योजना प्रभारी की उदासीनता एवं पर्यवेक्षणीय लापरवाही के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी नहीं होने के कारण योजनाओं की प्रगति प्रभावित हुई है। इस कारण अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग, जयपुर द्वारा निलम्बित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है और आलौच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के फलस्वरूप अपील खारिज किए जाने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभय पक्ष की बहस में प्रस्तुत तर्कों के मनन और अनुशीलन से स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश दिनांक 06.10.2023, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, वह निलम्बन आदेश निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर द्वारा जारी किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2022 द्वारा राज्य सेवा के अधिकारियों को निलम्बित किए जाने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए है, जो निम्नानुसार हैः–

''अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व परिपत्र दिनांक 31.07.2018 एवं 24.08.2021 के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भी निलम्बन आदेश जारी किये जा सकेंगे।

2. उक्त निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किये जाये।

3. प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

सभी प्रशासनिक विभाग उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से करेंगे और यदि इनकी अवहेलना की जाती है तो प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।''

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में राज्य सरकार के कर्मचारियों को निलम्बित किए जाने के संबंध में निम्न प्रावधान है:–

''**Rule 13. Suspension [I] The Appointing Authority or any authority to which it is subordinate or any other authority empowered by the Government in that behalf may place a Government servant under suspension-**

[a] where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending,

or

[b] where a case against him in respect of any criminal offecne is under investigation or trial:

Provided that where the order of suspension is made by a authority lower than the Appointing Authority, such authority shall forthwith report to the Appointing Authority the circumstances in which the order was made."

सीसीए नियमों के उक्त प्रावधान और कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.04.2022 से यह स्पष्ट है कि राज्य सेवा के अधिकारी का निलम्बन आदेश कार्मिक विभाग द्वारा अथवा आवश्यक परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है और यदि निलम्बन कार्मिक विभाग के अलावा किया जाता है तो निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का प्रकरण में अनुशासनात्मक कार्यवाही के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को प्रेषित किया जाएगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी राजस्थान कृषि सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग का अधिकारी है, जिसकी पुष्टि कृषि

(ग्रुप–1) विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2023 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची से स्पष्ट है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 22 पर अंकित है।

विषय यह है कि क्या निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग अपीलार्थी को निलम्बित करने के लिए सक्षम अधिकारी है।

प्रस्तुत प्रकरण में निलम्बन आदेश जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षण (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग) अपीलार्थी का प्रशासनिक विभाग है क्योंकि कृषि विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2023 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार अपीलार्थी कृषि विभाग का कार्मिक है। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा उसको हस्तांतरित गतिविधियों के संबंध में जारी आदेश दिनांक 02.10.2010 (अनुलग्नक–3) के बिन्दु संख्या 2 (iii) के अनुसार ''भू–संरक्षण/जलग्रहण विकास कार्यक्रम के समस्त कार्यकलाप जो भू–संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे है, को पूर्ववत्त जिला परिषदों के अधीन रखते हुए कृषि अभियन्ता संवर्ग को कृषि विभाग से अलग कर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन कर दिया जावे।'' साथ ही ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी आज्ञा दिनांक 02.10.2010 द्वारा हस्तांतरित स्टाफ के संस्थापन प्रकरणों के निस्तारण एवं कार्यकलापों के बारे में निर्देश जारी किए गए है, जिसमें इन कार्मिकों की पद स्थिति (Status) सवंर्ग नियंत्रण अधिकारी के संबंध में प्रावधान किए गए है, जिसका बिन्दु संख्या 2 (vi) निम्नानुसार हैः–

''(vi) यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को स्टाफ के हस्तान्तरण का आशय यह होगा किः–

(अ) पद स्थिति (Status)

राजकीय विभागों से हस्तान्तरित स्टाफ राज्य सरकार की सेवा मे मात्र रहेगा, उसकी सेवा शर्तें/सेवालाभ उन्हीं नियमों से शासित होंगी जिनके द्वारा हस्तान्तरण से पूर्व शासित होती रही हैं।

(ब) संवर्ग नियन्त्रण अधिकारी (Cadre Controlling Authority)

हस्तान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का पैतृक विभाग उसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी (cadre controlling authority) बना रहेगा और हस्तान्तरित अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण पैतृक विभाग से पंचायती राज संस्थाओं में अथवा पंचायती राज संस्थाओं से पैतृक विभाग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सहमति उपरान्त किया जा सकेगा।''

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी का संवर्ग नियंत्रण अधिकारी उसके पैतृक विभाग कृषि विभाग है। अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू–सरंक्षणए राज. जयपुर) के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.04.2023 प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार हैः–

''निदेशालय के आदेश कमांक एफ.1 (कैडर कन्ट्रोल/पंरा) निजभूसं /संस्था/5170–5184 दिनांक 27.01.2023 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग के कृषि अभियन्ता संवर्ग से संबंधित समस्त कार्य विधिवत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित किये जाएंगे। कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक F.5(1)Pers/A-I/2023 दिनांक 27.02.2023 द्वारा निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग को निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) बनाया गया है। कृषि अभियन्ता संवर्ग सेवा नियमों के अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त सेवा नियम प्रभाव में आने से पूर्व तक की अवधि में, कृषि अभियन्ता संवर्ग के संस्थापन संबंधी समस्त कार्य निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग) के मार्फत पूर्ववत कृषि विभाग द्वारा सम्पादित किये जाएंगे।''

इस पत्र से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग की आज्ञा दिनांक 02.10.2010 की अनुपालना में कृषि विभाग के कृषि अभियन्ता संवर्ग को अलग कर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अधीन करने की प्रक्रिया एवं इस हेतु सेवा नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त पत्र के संबंध में निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर द्वारा एक पत्रावली अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को प्रस्तुत की गई और उसके क्रम में एक पत्र दिनांक 01.06.2023 द्वारा शासन सचिव कृषि विभाग को प्रेषित किया गया है। इनके अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि अभियांत्रिकी के संस्थापन संबंधी समस्त कार्य निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर के मार्फत कृषि विभाग द्वारा सम्पादित किए जायेंगे। अर्थात् समस्त प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किए जायेंगे एवं आवश्यक कार्यवाही प्रशासनिक विभाग के स्तर पर की जायेगी।

प्रस्तुत प्रकरण में निलम्बन आदेश की पुष्टि हेतु कार्मिक विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को भी कार्मिक विभाग द्वारा यह कहते हुए लौटा दिया है कि उक्त प्रकरण में विभाग द्वारा की गई प्राथमिक जांच एवं प्रकरण में प्राप्त शिकायत के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ प्राप्त नहीं हुए है। अतः निलम्बन आदेश दिनांक 06.10.2023 पुष्टि से पूर्व उक्त समस्त दस्तावेज प्रशासनिक विभाग के माध्यम से इस विभाग को

भिजवाए जाने की व्यवस्था करे ताकि प्रकरण की आगामी कार्यवाही कर समुचित निर्णय लिया जा सके।

उक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं मनन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी कृषि विभाग का कार्मिक है और जिसका संवर्ग नियंत्रण अधिकारी कृषि विभाग है। इस लिहाज से उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही अथवा निलम्बन के लिए कृषि विभाग सक्षम है। निलम्बन की कार्यवाही सीसीए नियम 13 के तहत राज्य सेवा के कार्मिकों के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.04.2022 द्वारा आवश्यक परिस्थितियों में प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को कतिपय शर्त के साथ निलम्बन हेतु अधिकृत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में निलम्बन आदेश कृषि विभाग, जो अपीलार्थी का प्रशासनिक विभाग है, द्वारा जारी नहीं किए गए है। आलौच्य आदेश जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण के निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव द्वारा जारी किए गए है, जो आलौच्य आदेश जारी करने के लिए सक्षम नहीं है। जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज) विभाग अपीलार्थी का प्रशासनिक विभाग नहीं है। लिहाजा उक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलार्थी के संबंध में आलौच्य निलम्बन आदेश दिनांक 06.10.2023 अपास्त किए जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य निलम्बन आदेश दिनांक 06.10.2023 को अपास्त किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य